



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत सरकार
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171003
Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, Shimla-171003

प्रशा०/ले०प०/ए/2026/29

दिनांक: 10.02.2026

कार्यालय आदेश

मुख्यालय कार्यालय (एसएमयू) की अधिसूचना संख्या 221/42-SMU/2025 दिनांक 13.06.2025, जिसके अंतर्गत समस्त राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (SPSUs) को एक लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह के अधीन रखने तथा इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रबंधन समूहों के पुनर्गठन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, तथा इस कार्यालय आदेश संख्या Admn/Audit/A/2025/233 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अधिसूचित पुनर्गठन के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्नलिखित पदस्थापना करने के आदेश दिए हैं।

1. वाणिज्यिक संवर्ग (Commercial Cadre) के सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (Senior Audit Officers) एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (Assistant Audit Officers) को **लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III** (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अधीन तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-II में पदस्थापित तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र लेखापरीक्षा सहित) के कार्यों का दायित्व संभाल रहे सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) एवं समूह 'ग' कर्मचारी, (Group 'B' Non-gazetted and Group 'C' officials) को तत्काल प्रभाव से **लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III** के अधीन रखा जाता है।
3. लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III (सामान्य क्षेत्र) (General Sector) में वर्तमान में पदस्थापित सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग को प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से **लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II** में तैनात किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार, लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II से लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III तथा समूह-III से समूह-II में चिन्हित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रभार परिवर्तन के दृष्टिगत, सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की अंतिम सूची (Final list of officers/officials) अनिवार्य रूप से प्रशासन अनुभाग को अभिलेख एवं संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 10.02.2026

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

पृ०संख्या प्रशा०/ले०प०/तैनाती/स०ले०प०अ०/पर्यवेक्षक/Vo.II /2024-26/2848-64 दिनांक: 10.02.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:

1. सचिव प्रधान महालेखाकार ।
2. निजि सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ।
3. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I) ।
4. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II) ।
5. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III)
6. कल्याण अधिकारी
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय अनुभाग)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रिपोर्ट अनुभाग)
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (IT/Data Analytics)
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय एवं रिपोर्ट अनुभाग)
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ITA)
12. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (SFAR)
13. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I, II व III) ।
14. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सम्पदा एवं खरीद अनुभाग) ।
15. सहायक निदेशक राजभाषा (राजभाषा अनुभाग) ।
16. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी अनुभाग) ।
17. कार्यालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

10/02